

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

86
११/९

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1984/श्रावण 9, 1986
No. 359] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1984/SRAVANA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
Separate compilation

वाणिज्य सचालय

(वस्त्र विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1984

का.आ. 545(अ) :—ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड (शेपरी का अर्जन)
विधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केंद्रीय सरकार दिनांक 11 जून, 1981 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2
खण्ड 3, उपखण्ड (2) के पृष्ठ 731-732 पर प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य

मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 432 (अ) दिनांक 11 जून, 1981 में एतद्-द्वारा निम्नोक्त और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 7 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7. श्री एम. मण्डल,
महाप्रबन्धक, (योजना),
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्थानीय मुख्यालय,
लखनऊ।”

[फा. सं. 22/10/80-इव्यू.टी.(पी.टी.)]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1984

S.O. 545(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the British India Corporation Limited (Acquisition of Shares) Act, 1981 (29 of 1981), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 432 (E) dated the 11th June, 1981, published at pages 733-734 of Part II—Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 11th June, 1981, namely :—

In the said notification, for serial number 7 and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely :—

“7. Shri M. Mandal, General Manager (Planning), State Bank of India, Local Head Office, Lucknow.”

[F. No. 22/10/80-WT(PT)]
J. K. BAGCHI, Jt. Secy.